प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः 16.09.2020
पशु चोरी की योजना बनाते 20,000-20,000 रूपये के पुरस्कार घोषित दो अपराधी थाना अहमदगढ़ पुलिस द्वारा मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा मय कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी शिकारपुर श्री गोपाल सिंह के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 15.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ़ श्री जयवीर सिंह मय पुलिस फोर्स के क्षेत्र मे तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियो की चैकिंग मे मामूर थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति दौलतपुर-जहांगीराबाद रोड से खेलिया की तरफ जाने वाले रोड पर भट्टे के पास पशु चोरी की योजना बना रहे हैं तथा अपने किसी साथी के आने का इंतजार कर रहे हैं जिनके पास नाजायज असलहे भी हैं। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अहमदगढ़ मय पुलिस फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान भट्टे के नजदीक पहुँचकर भट्टे के पास बने कमरे के पास पहुँचे कि दो व्यक्ति पशु चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की घेराबन्दी की गई जिस पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों अभियुक्तों को समय करीब शाम 19.30 बजे अवैध असलहा मय कारतूस सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1- सद्दाम पुत्र बब्बन निवासी मौ0 तकिया कस्बा व थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद

2- सद्दाम हुसैन पुत्र आबिद हुसैन निवासी ग्राम डोमघर थाना कुन्दरकी जनपद मुरादाबाद

बरामदगी -

1- 02 तमंचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.03.2020 को दोनों अभियुक्तगण महिन्द्रा बुलेरो पिकअप गाड़ी में कुछ गौवंशों को क्रूरतापूर्वक भरकर उनका वध करने के उद्देश्य से जहाँगीराबाद रोड़ से ताल बिबियाना की तरफ से होते हुए जनपद मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे कि पुलिस को चैकिंग करते देख अभियुक्तगण बुलेरो पिकअप गाड़ी को थाना अहमदगढ़ क्षेत्र ग्राम बरारी मोड़ के पास छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाकर खेतों की तरफ भाग गये थे। उक्त गाड़ी से 05 गौवंश क्रूरतापूर्वक बंधे हुए व गौकशी करने के उपकरण, रस्सी आदि बरामद हुए थे। उक्त घटना के संबंध में थाना अहमदगढ़ पर मुअसं-50/2020 धारा 420 भादवि व 3/8 गौवध निवारण अधि0 एवं 11 पशुक्रूरता अधि0 पंजीकृत है। इस अभियोग में अभियुक्तगण लगातार फरार/वांछित चल रहे थे जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 20,000-20,000 रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। दोनों अभियुक्तों विरुद्ध विभिन्न थानों/जनपदों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है-

अभियुक्त सद्दाम पुत्र बब्बन का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-219/17 धारा 380 भादवि थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

2- मुअसं-152/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद

3- मुअसं-50/20 धारा 420 भादवि व 3/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अहमदगढ़ बुलन्दशहर

4- मुअसं-206/20 धारा 401/307 भादवि (पुलिस मुठभेड़) थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर

5- मुअसं-207/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर

अभियुक्त सद्दाम हुसैन पुत्र आबिद का आपराधिक इतिहास-

1- मुअसं-54/18 धारा 307/411/413/414 भादवि व 41/62 व 41/102 सीआरपीसी थाना पाकवाड़ा मुरादाबाद

2- मुअसं-55/18 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पाकवाड़ा जनपद मुरादाबाद

3- मुअसं-50/20 धारा 420 भादवि व 3/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना अहमदगढ़ बुलन्दशहर।

4- मुअसं-206/20 धारा 401/307 भादवि(पुलिस मुठभेड़) थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

5- मुअसं-208/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना अहमदगढ़ जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहमदगढ़ पर मुअसं-206/20 धारा 401/307 भादवि(पुलिस मुठभेड़), मुअसं-207 व 208/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1. श्री जयवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ

2. उ0नि0 श्री रामगोपाल, उ0नि0 श्री सुरेन्द्रपाल सिंह

3. है0का0 रविन्द्र, का0 अमरदीप तोमर, का0 श्यामू सिंह